RBE No.209/2019

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No. 2019-E(SCT)I/25/1 New Delhi, dated 10.12.2019

The General Manager (P)
All Indian Railways and Production Units.

Sub: Operation of New Post Based Roster for Direct Recruitment for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Economically Weaker Sections- Clarification regarding.

Ref: i) Board's letter No. 2019-E(SCT)I/25/1 dated 07.02.2019.
ii) Board's letter No. E(NG)II/2019/Misc/2 dated 05.02.2019.

Attention is invited to Railway Board's letter No. 2019-E(SCT)I/25/1 dated 07.02.2019 (RBE No. 21/2019) enclosing therewith a copy of Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel & Training's O.M. No. 36039/1/2019-Estt (Res) dated 31.01.2019 regarding reservation for Economically Weaker Sections (EWSs) in direct recruitment in civil posts and services in the Government of India.

2. Clarifications have been sought from Railway Board regarding the method for operating the new post based roster issued by Railway Board's letter No. 2019-E(SCT)I/25/1 dated 07.02.2019 (RBE No. 21/2019).

3. In this regard, attention is invited to Para 6.2 of DOP&T's O.M. No. 36039/1/2019-Estt (Res) dated 31.01.2019, which states that every Government establishment shall now recast group-wise post-based reservation roster register for direct recruitment in accordance with format given in Annexure II, III, IV and V, as the case may be, for effecting 10% reservation for EWSs interpolating them with the SCs, STs and OBCs. While fixing roster point, if the EWS roster point coincides with the roster points of SCs/STs/OBCs the next available UR roster point has been allotted to the EWSs and also the principle of "squeezing" has been kept in view. While drawing up the roster, the cadre controlling authorities may similarly "squeeze" the last points of the roster so as to meet prescribed 10% reservation.

4. Further para 6.1 of DOP&T's O.M. No. 36039/1/2019-Estt (Res) dated 31.01.2019 mentions that the general principles for making and operating post based reservation roster would be as per the principles laid down in DOP&T's OM No.36012/2/96-Estt. (Res) dated 02.07.1997 regarding implementation of Post Based Reservation Roster. The principles in this regard are under the heading 'INITIAL OPERATION' in the DOP&T's OM No.36012/2/96-Estt. (Res) dated 02.07.1997.

...2/...

5. As far as backlog vacancies of SC/ST/OBC's are concerned, they will be treated as separate and the ceiling of 50% reservation on filling of reserved vacancies would apply only to the vacancies which arise in the current year. Further, on recasting of roster, the excess persons belonging to SC/ST/OBC category may be adjusted as per principles prescribed in 'Para 4' above. Also, to adjust excess/additional persons belonging to SC/ST/OBC category (including backlog vacancies) in Model Roster for cadre strength upto 13 posts (small scale Roster/L Shape Roster), it may be stretched to the next cycle/cycles.

6. As the reservation for EWS category will be applicable only on 10% of vacancies notified on or after 01.02.2019, the roster points belonging to EWS category can only be filled upto 10% of vacancies notified on or after 01.02.2019 and the remaining roster points of EWS in the cadre will be vacant. Also, in new post based roster issued by Railway Board's letter No. 2019-E(SCT)I/25/1 dated 07.02.2019 (RBE No.21/2019), as the number of roster points allocated to the UR category has mainly got shrunken so the persons of UR category will be in excess than the roster points allocated to UR category. Thus, persons belonging to UR category which are in excess of UR roster points needs to be accommodated against EWS roster points which are in excess of 10% of vacancies notified on or after 01.02.2019 for EWSs. Still, if there are vacant roster points of EWSs (despite allocating 10% of notified vacancies to EWS on or after 01.02.2019 & adjusting excess UR persons), the remaining roster points belonging to EWS category (which could not be operated as present incumbency/vacancies being sent belonging to EWS category is having the ceiling limit of 10% of notified vacancies on or after 01.02.2019) may be operated by indenting UR vacancies against them. In due course of time, EWS roster points will be filled up with EWS category persons and UR persons will vacate the EWS roster points. Thus, in a span of time, all the roster points belonging to EWS category will get operated by persons belonging to EWS category.

7. An illustration in this regard is enclosed as Annexure-I.

DA : As above.

(U.N. Mehta)
Joint Director Estt.(Res.)I

रेल मंत्रालय
Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड
Railway Board
अनुलग्नक सहित जारी
Issued with Enclosure
हस्ताक्षर
Signature.....
जारी की तिथि
Date of Issue.....

o/c

No. 2019-E(SCT)I/25/1 New Delhi, Dated- .12.2019

Copy to:

1. The General Secretary, AIRF, Room No. 253, Rail Bhawan, New Delhi.
2. The General Secretary, NFIR, Room No. 256-E, Rail Bhawan, New Delhi.
3. The Members of National Council, Departmental Council and Secretary, Staff Side, National Council,13-C, Ferozeshah Road, New Delhi.
4. The Secretary General, FROA, Room No. 256-A, Railway Board.
5. The Secretary, RBSS Group 'A' Officer's Association.
6. The Secretary, RBSS Group 'B' Officers' Association.
7. The Secretary General, IRPOF, Room No.268, Rail Bhawan, New Delhi.
8. The Secretary, Railway Board Class II Officers' Association.
9. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association.
10. The Secretary, Railway Board Group D Empoyees Association.
11. The General Secretary, AIRPF Association Room No.256-D, Rail Bhawan.
12. General Secretary, All India SC/ST Railway Employees Association, Room No.7, Rail Bhawan, New Delhi.
13. The General Secretary, All India OBC Railway Employees Federation, Room No.48, GF, Rail Bhawan.
14. Chief Commissioner Railway Safety, Lucknow.
15. Chief Administrative Officer, MCF/Raebareli Project, Kishanganj, Delhi-7.
16. The Secretary, Railway Board Promotee Officers Association, Room No. 341-C, Rail Bhawan.
17. The GMs, N.F. Railway (Const.), CAO,SR(Const.) and CR(Const.).
18. The Director General & ex-officio General manager, R.D.S.O/Lucknow.
19. The General Manager, and FA&CAO/Metro Railway/Kolkata.
20. The CAO and FA&CAO/COFMOW/New Delhi.
21. The General Manager, and FA&CAO/CORE/ Allahabad.
22. The Director General, National Academy of Indian Railways, Vadodara
23. The Directors, IRISET, Secunderabad/IRIMEE, Jamalpur/ IRIEEN, Nasik/IRICEN, Pune and CAMTECH, Gwalior.
24. The CAO (Const.), MTP (R), Mumbai & Chennai.
25. The Chairman & Managing Director/Managing Director, RITES/IRCON/CONCOR/KRCL/IRFC/RCIL/KMRCL/RVNL/DFCCIL/BCL/BSCL/BWEL/ MRVC/IRCTC.
26. The Chairman, Railway Recruitment Board: Allahabad/Ahmedabad/Ajmer/Bangalore/Bhopal/Bilaspur/Bhubaneswar/Kolkata/Chandigarh /Chennai/Gorakhpur/Guwahati/Jammu&Shrinagar/Malda/Mumbai/Muzaffarpur/Patna/Ranch i/ Secunderabad /Thiruvananthapuram.
27. The Chief Project Administrator (Telecom), IRCOT Consultancy, Shivaji Bridge, New Delhi.
28. The Director (Movement) Railways, Kolkata.
29. The General Secretary, IRCA, DRM Office Complex, State entry road, New Delhi.
30. Managing Director, Centre for Railway Information System,
31. Vice Chairman, Rail Land Development Authority.
32. Chief Admn. Officer, Indian Railways Organization for Alternative Fuels, 12th Floor, Core-I, SCOPE Minar, District Centre, Laxmi Nagar, New Delhi -110092.
33. Office of Chief Administrative Officer, Indian Railways (Workshop Projects), Chamber Bhawan, Judge's Court Road, Anta Ghat, Patna-800001, Bihar.
34. The Joint Director (Iron & Steel), 3 Koilaghat Street, Kolkata.
35. The Secretary, Railway Claims Tribunal, Chennai.
36. The Railway Liason Officer, DGS&D, Jeevan Tara Building, Parliament Street, New Delhi.

(U.N. Mehta)
Joint Director Estt.(Res.)I

...4/...

Copy to: PSs to MR, MOS(S) & MOS(G).

Copy to: **PSO/Sr.PPS/PPSs/PSs/PA to:**

CRB, FC, MS, M(RS), ME, M(Tr.), MT, M(Signal), M(Stores), Secretary/Rly.Bd., DG/RPF, DG/RHS, DG/PERS, DG(S&T), DG(RS), DG(PR).

AM(Comml), AM(CE), AM(C&IS), AM(Elect.), AM (Budget), AM(E), AM(ME), AM(Plg.), AM(PU), AM(Tele), AM(Sig), AM(Store), AM(T), AM(TT), PED(Bridge), PED(Stn.Dev.Engg.), AM(Works), AM(F), AM(Staff), Adv(lnfra), Adv.(IR), Adv.(Project), PED(Vig.), Adv (C), Adv.(T&MPP), Adv. (Health), PED(Safety), Adv.(Transformation), Adv.(F), Adv.(Project), Legal Adviser, PED (Signal).

EDE(N), EDCE(G), EDE(G), ED(A), EDF(E), EDE(Safety), EDE(RRB), EDE(GC), EDE, EDV(A), ED(PSU), EDE(Sports), EDE(E&R), EDE(IR), EDH(G), EDPC-I, EDPC-II, EDF(BC), ED(ERP), EDPG, Chairman/HRRC, JS, JS(G), JS (E), JS(C), DE(W), DE(MPP), DE(G), DE(GP), DE(LL), DME(C&IS), JDF(E), JDE(N), JDE(Rep), JDPG, DDF(E)-I,II&III, DDE(R)-II, DDE (LR)-I & II,&III, DD(Sec/E), DD(Sec/ABE), DD E(P&A)I & E(P&A)II, E(G), E(NG)I & II, E(Trg), E(MPP), A/C-III, ERB-I, ERB-II, ERB-III, ERB-IV, ERB-V & ERB-VI, E(Rep)I, E(Rep)-II & E(Rep)-III, E(Sports), E(W), Sec(E), FE-I,II&III, FE(Spl), E(RRB), PC-III, PC-IV, PC-V, PC-VI, PC-VII, E(SCT)II, E(GR) I & E(GR)-lI, E(GC), E(GP), E (Welfare)-I,II&III, E(D&A), E(Co-op), PR, E(D&A), E(LR)-I,II&III, Code Revision Cell/ Branches of Railway Board.

Annexure-I

The following illustration clarifies the operation of new post based reservation roster:-

(i) Suppose there is a cadre of 1000 posts which was filled by direct recruitment on all India basis by open competition. The number of SC, ST and OBC employees to be appointed by reservation in the cadre should ideally be 150, 75 and 270 respectively when all the posts are filled. [Reservation for SCs, STs and OBCs in such a case is 15%, 7.5% and 27% respectively]. Also, the number of SC, ST and OBC employees appointed by reservation is 150, 75 and 270 respectively.

(ii) (a) Suppose 200 vacancies occur in the cadre in the recruitment year 2018, out of which 38 are vacated by SCs, 10 by STs, 72 by OBCs. There is thus, a shortfall of 38 SCs, 10 STs and 72 OBCs in the cadre in that year. Though there is a higher shortfall of SCs, STs and OBCs in the cadre, only 100 of these vacancies could be earmarked reserved because all the 200 vacancies are current vacancies and ceiling limit of 50% on reservation in a year would apply on these vacancies.

(b) Shortfall of STs is 10 i.e. less than 7.5% of total vacancies. Therefore, 10 vacancies could only be earmarked reserved for STs. Shortfall of SCs and OBCs is more than 15% and 27% respectively of the current vacancies. Therefore, 15% of the current vacancies straightway earmarked reserved for SCs and 27% for OBCs i.e. 30 vacancies earmarked reserved for SCs and 54 vacancies for the OBCs. Applying the above principle, 94 vacancies are earmarked reserved. Thus, this left room for 6 {100-(10+30+54)} more vacancies to be earmarked reserved to make up the shortfall. These 6 vacancies are to be apportioned between SCs and OBCs in the ratio of percentage of reservation prescribed for these categories viz. 15: 27 subject to the condition that the number of vacancies earmarked reserved for any category is not more than the shortfall of that category. Thus, the earmarking of reservation in respect of the vacancies of the year 2018 would be 32 for SCs, 10 for STs and 58 for OBCs.

(c) Suppose only 20 SC candidates, 5 ST candidates and 50 OBC candidates could be appointed in the recruitment year 2018 against the vacancies reserved for them. Thus, 12 vacancies of SCs, 5 vacancies of STs and 8 vacancies of OBCs which earmarked reserved could not be filled and remained vacant. These 12 vacancies of SCs, 5 vacancies of STs and 8 vacancies of OBCs which are earmarked reserved but remained vacant in the recruitment attempt will be treated as backlog reserved vacancies for the subsequent recruitment year. After the recruitment process for the year 2018 concludes, total number of posts filled would be 975, out of which 132, 70 and 248 will be held respectively by SCs, STs and OBCs. It may be noted that shortfall of reservation of SCs, STs and OBCs at this stage is 18, 5 and 22 respectively but number of backlog reserved vacancies of SCs, STs and OBCs is 12, 5 and 8 respectively.

...2/...

(iii) (a) Suppose 200 vacancies arise in the recruitment year 2019 of which 30 are vacated by SCs, 10 by STs and 50 by OBCs. At this stage shortfall of SCs, STs and OBCs will be 48, 15 and 72 respectively. Total vacancies in the year would be 200+12+5+8=225, of which 200 are current vacancies and 25 are backlog vacancies. 25 backlog reserved vacancies of SCs, STs and OBCs will be treated as a separate and distinct group and will be kept reserved-12 for SCs, 5 for STs and 8 for OBCs. Of the 200 current vacancies, not more than 100 can be earmarked reserved for SC/ST/OBC. By applying the same principles as in the year 2018, out of 200 current vacancies, 32 are earmarked reserved for SCs, 10 for STs and 58 for OBCs. Thus the number of vacancies reserved for SCs, STs and OBCs in the recruitment year 2019, including the backlog reserved vacancies, will be 44, 15 and 66 respectively. Suppose, these vacancies are notified on or after 01.02.2019, thus reservation for Economically Weaker Sections (EWSs) has to be provided upto 10% of vacancies notified on or after 01.02.2019. Therefore, 10% of the current year vacancies (200) are straightway earmarked reserved for EWSs i.e. 20 vacancies. As the cadre strength is 1000, there will be 100 roster points belonging to EWSs. However, only 10% of vacancies notified on or after 01.02.2019 can only be allotted to EWSs, i.e. 20 number of vacancies can be reserved for EWSs in the recruitment year 2019, and remaining points can be utilised as UR vacancies. Thus the number of vacancies reserved for SCs, STs, OBCs and EWSs in the recruitment year 2019 (notified on or after 01.02.2019), will be 44, 15, 66 and 20 respectively and the remaining vacancies (80) are to be treated as UR vacancies.

(b) Suppose only 34 SC candidates, 5 ST candidates, 56 OBC candidates and 15 EWSs candidates could be appointed in the recruitment year 2019 against the vacancies reserved for them. Thus, 10 vacancies of SCs, 10 vacancies of STs, 10 vacancies of OBCs and 5 vacancies of EWSs which are earmarked reserved could not be filled and remained vacant. These 10 vacancies of SCs, 10 vacancies of STs and 10 vacancies of OBCs which are earmarked reserved but remained vacant in the recruitment attempt will be treated as backlog reserved vacancies for the subsequent recruitment year (vacancy earmarked for EWSs which not filled due to non-availability of suitable candidate belonging to EWSs, shall not be carried forward to next recruitment year as backlog). After the recruitment process for the year 2019 concludes, total number of posts filled would be 955, out of which 136, 65, 254 and 15 will be held by SCs, STs, OBCs and EWSs respectively. It may be noted that shortfall of reservation of SCs, STs and OBCs at this stage will be 14, 10 and 16 respectively but number of backlog reserved vacancies of SCs, STs and OBCs is 10, 10 and 10 respectively.

...3/...

(iv) Suppose 200 vacancies occur in the recruitment year 2020, out of which 35 are vacated by SCs, 10 by STs, 50 by OBCs and 5 by EWSs. At this stage shortfall of SCs, STs and OBCs will be 49, 20 and 66 respectively. Total vacancies in the year would be 200+10+10+10=230, of which 200 are current vacancies and 30 are backlog vacancies. 30 backlog reserved vacancies of SCs, STs and OBCs will be treated as a separate and distinct group and will be kept reserved-10 for SCs, 10 for STs and 10 for OBCs. Of the 200 current vacancies, not more than 100 can be earmarked reserved for SC/ST/OBC. By applying the same principles as in the year 2018 & 2019, out of 200 current vacancies, 34 are earmarked reserved for SCs, 10 for STs and 56 for OBCs. Thus the number of vacancies reserved for SCs, STs and OBCs in the recruitment year 2019, including the backlog reserved vacancies, will be 44, 20 and 66 respectively. As these vacancies will be notified on or after 01.02.2019, hence reservation of Economically Weaker Sections (EWSs) has to be provided upto 10% of vacancies notified on or after 01.02.2019. Therefore, 10% of the vacancies notified on or after 01.02.2019 would be reserved for EWSs which means 10% of vacancies notified in 2019 and 2020 (200+200=400), subject to 10% of the total strength of the cadre. Thus 10% of 400 i.e. 40 roster points can be reserved for EWSs upto recruitment year 2020 out of which 10 has already been occupied by EWSs (15 could be appointed in the recruitment year 2019 against EWSs reservation out of which 5 vacated). As the cadre strength is 1000, there will be 100 roster points belonging to EWSs. However, only 10% of vacancies notified on or after 01.02.2019 can only be allotted to EWSs, i.e. 30 (40-10) number of vacancies can be reserved for EWSs in the recruitment year 2020 (10 already occupied by the EWSs, as out of 15 appointed in the year 2019 against EWS reservation, 5 got vacated) leading to a total of 40 i.e. 10% the vacancies (400) notified on or after 01.02.2019, and remaining points can be utilised as UR vacancies. Thus the number of vacancies reserved for SCs, STs, OBCs and EWSs in the recruitment year 2020, will be 44, 20, 66 and 30 respectively and the remaining vacancies (70) will be treated as UR vacancies.

आरबीई सं.209/2019

भारत सरकार /GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

सं.2019-ई(एससीटी)I/25/1 **नई दिल्ली, दिनांक:10.12.2019**

महाप्रबंधक (कार्मिक)
सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां

विषय: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सीधी भर्ती में नए पद आधारित रोस्टर के परिचालन से संबंधित स्पष्टीकरण।

संदर्भ: i) बोर्ड का दिनांक 07.02.2019 का पत्र सं.2019-ई(एससीटी)।/25/1
ii) बोर्ड का दिनांक 05.02.2019 का पत्र सं.ई(एनजी)।।/2019/मिस./2

आपका ध्यान रेलवे बोर्ड के दिनांक 07.02.2019 के पत्र सं.2019-ई(एससीटी)।/25/1 (आरबीई सं.21/2019) की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके साथ कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.01.2019 के कार्यालय ज्ञापन सं.36039/1/ 2019-स्था. (आरक्षण) की एक प्रति संलग्न है, जो भारत सरकार में सिविल पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के आरक्षण के बारे में है।

2. रेलवे बोर्ड के दिनांक 07.02.2019 के पत्र सं.2019-ई(एससीटी)।/25/1 (आरबीई सं.21/2019) के तहत जारी नए पद आधारित रोस्टर के परिचालन की प्रक्रिया के संबंध में रेलवे बोर्ड से स्पष्टीकरण मांगे गए हैं।

3. इस संबंध में आपका ध्यान कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.01.2019 के कार्यालय ज्ञापन सं.36039/1/2029- स्था. (आरक्षण) के पैरा 6.2 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक सरकारी अधिष्ठान अब से ई.डब्ल्यू.एस. के लिए 10% आरक्षण लागू करने के लिए उन्हें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के साथ अंतर्वेशित करने के लिए अनुबंध II, III, IV और V में दिए गए प्रपत्र, जैसा मामला हो, के अनुसार सीधी भर्ती के लिए समूह-वार पद-आधारित आरक्षण रोस्टर रजिस्टर को पुन: तैयार करेंगे। रोस्टर बिंदु का निर्धारण करते समय, यदि ई.डब्ल्यू.एस. का रोस्टर बिंदु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के रोस्टर बिंदु के साथ आता है तो अगले उपलब्ध अनारक्षित रोस्टर बिंदु को ई.डब्ल्यू.एस. को आबंटित किया जाएगा एवं साथ ही "स्क्वीज़िंग" के सिद्धांत का भी ध्यान रखा जाएगा। रोस्टर तैयार करते समय, संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी रोस्टर के अंतिम बिंदु को उसी प्रकार से 'स्क्वीज़' करेंगे ताकि निर्धारित 10% आरक्षण को पूरा किया जा सके।

4. इसके अलावा, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.01.2019 के कार्यालय ज्ञापन सं.36039/1/2019- स्था. (आरक्षण) के पैरा 6.1 में उल्लेख किया गया है कि पद आधारित आरक्षण रोस्टर तैयार करने और इसका परिचालन करने के सामान्य सिद्धांत पद आधारित आरक्षण रोस्टर के कार्यान्वयन के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 02.07.1997 के कार्यालय ज्ञापन सं.36012/2/96-स्था. (आरक्षण) में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार होंगे। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 02.07.1997 के कार्यालय ज्ञापन सं.36012/2/96 स्था. (आरक्षण) में 'आरंभिक परिचालन' के शीर्षक के अंतर्गत इससे संबंधित सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है।

5. जहां तक अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. की बैकलॉग रिक्तियों का संबंध है, इन्हें अलग माना जाएगा और आरक्षित रिक्तियों को भरने पर 50% आरक्षण की सीमा केवल मौजूदा वर्ष में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों पर ही लागू होगी। इसके अलावा, रोस्टर पुन: तैयार करने पर अ.जा./ अ.ज.जा./अ.पि.व. से संबंधित अधिशेष व्यक्तियों को उक्त पैरा 4 में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार समायोजित किया जाए। साथ ही, 13 पदों तक (स्मॉल स्केल रोस्टर/एल शेप रोस्टर) की संवर्ग संख्या के लिए मॉडल रोस्टर में अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. कोटि (बैकलॉग रिक्तियों सहित) से संबंधित अधिशेष/अतिरिक्त व्यक्तियों को समायोजित करने के लिए इसे अगले चक्र/चक्रों तक बढ़ा दिया जाए।

6. चूंकि ई.डब्ल्यू.एस. कोटि के लिए आरक्षण केवल 01.02.2019 को या उसके बाद अधिसूचित रिक्तियों के 10% पर ही लागू होगा, इसलिए ई.डब्ल्यू.एस. कोटि से संबंधित रोस्टर प्वाइंट को 01.02.2019 को या उसके बाद अधिसूचित 10% रिक्तियों तक ही भरा जा सकता है और संवर्ग में ई.डब्ल्यू.एस. के शेष रोस्टर प्वाइंट रिक्त रहेंगे। साथ ही, रेलवे बोर्ड के दिनांक 07.02.2019 के पत्र सं.2019-ई(एससीटी)।/25/1 (आरबीई सं.21/2019) द्वारा जारी किए गए नए पद आधारित रोस्टर में चूंकि अनारक्षित कोटियों को आबंटित किए गए रोस्टर प्वाइंट की संख्या मुख्य रूप से कम की गई है इसलिए, अनारक्षित कोटियों के व्यक्ति अनारक्षित कोटियों में आबंटित रोस्टर प्वाइंटों की तुलना में अधिक होंगे। इस प्रकार, अनारक्षित कोटियों से संबंधित व्यक्तियों, जो अनारक्षित रोस्टर प्वाइंटों की तुलना में अधिक हैं, को ई.डब्ल्यू.एस. रोस्टर प्वाइंटों के तहत समायोजित करने की जरूरत है, जो 01.02.2019 को या उसके बाद ई.डब्ल्यू.एस. के लिए अधिसूचित रिक्तियों के 10% से अधिक हैं। फिर भी यदि ई.डब्ल्यू.एस. के रोस्टर प्वाइंट (01.02.2019 को या उसके बाद ई.डब्ल्यू.एस. के लिए अधिसूचित रिक्तियों के 10% तक आबंटित करने और अनारक्षित व्यक्तियों को समायोजित करने के बावजूद) रिक्त हैं तो ई.डब्ल्यू.एस. कोटि से संबंधित शेष रोस्टर प्वाइंट (जिन ई.डब्ल्यू.एस. कोटि से संबंधित मौजूदा रिक्तियों/भेजी जा रही रिक्तियों को 01.02.2019 या उसके बाद अधिसूचित रिक्तियों के 10% तक की उच्चतम सीमा के कारण परिचालित नहीं किया जा सकता) को अनारक्षित रिक्तियों के तहत इन्डेंट देकर परिचालित किया जाए। ई.डब्ल्यू.एस. के रोस्टर प्वाइंट यथासमय पर ई.डब्ल्यू.एस. कोटि से संबंधित व्यक्तियों से भरे जाएंगे और अनारक्षित व्यक्ति ई.डब्ल्यू.एस. के रोस्टर प्वाइंट खाली कर देंगे। इस प्रकार कुछ ही समय में ई.डब्ल्यू.एस. कोटि से संबंधित सभी रोस्टर प्वाइंट ई.डब्ल्यू.एस. कोटि से संबंधित व्यक्तियों द्वारा परिचालित किए जाएंगे।

7. इस संबंध में एक उदाहरण अनुलग्नक-। के रूप में संलग्न है।

संलग्नक: यथोक्त।

Mehta

(यू. एन. मेहता)
संयुक्त निदेशक, स्थापना (आरक्षण)-।
रेलवे बोर्ड

सं.2019-ई(एससीटी)I/25/1 **नई दिल्ली, दिनांक: 10.12.2019**

प्रतिलिपि अग्रेषित:

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली।
2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली।
3. विभागीय परिषद एवं राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य एवं सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोज़शाह रोड, नई दिल्ली।
4. सेक्रेटरी जनरल, फ्रोआ, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली।
5. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
6. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
7. जनरल सेक्रेटरी, इरपोफ, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
8. सचिव, रेलवे बोर्ड क्लास-।। अधिकारी एसोसिएशन, रेल भवन।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रियल स्टॉफ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली
10. सचिव, रेलवे बोर्ड, ग्रुप डी एम्पलाईज़ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली
11. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली
12. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे एम्पलाइज़ एसोसिएशन, कमरा नं.7, भूतल, रेल भवन।
13. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे एम्पलाइज़ फेडरेशन, कमरा नं.48, भूतल, रेल भवन।
14. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ।
15. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रेल कोच फैक्टरी/रायबरेली परियोजना, किशनगंज, दिल्ली-7
16. सचिव, रेलवे बोर्ड प्रोमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं.341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली।
17. महाप्रबंधक, पूर्वो. सीमा रेलवे (निर्माण), सीएओ, दक्षिण रेलवे (निर्माण) और मध्य रेलवे (निर्माण)
18. महानिदेशक और पदेन महाप्रबंधक, आरडीएसओ/लखनऊ
19. महाप्रबंधक और प्रधान वित्त सलाहकार, इलाहाबाद।
20. सीएओ, पीएफए/कॉफमो, नई दिल्ली।
21. महाप्रबंधक और पीएफए, कोर, इलाहाबाद।
22. महानिदेशक, भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी, वड़ोदरा।
23. निदेशक, इरिसेट, सिकंदराबाद/इरीमी, जमालपुर/इरीन, नासिक/इरीसेन, पुणे और कैमटेक, ग्वालियर
24. सीएओ (निर्माण), एमटीपी (आर), मुंबई और चेन्नै
25. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक, राइट्स/इरकॉन/कॉनकोर/केआरसीएल/ आईआरएफसी/ आरसीआईएल/केएमआरसीएल/आरवीएनएल/डीएफसीसीआईएल/बीसीएल/बीएससीएल/बीडब्ल्यूएल/ एमआरवीसी/आईआरसीटीसी।
26. अध्यक्ष, रेलवे भर्ती बोर्ड: इलाहाबाद/अहमदाबाद/अजमेर/बेंगलुरु/भोपाल/बिलासपुर/भुवनेश्वर/ कोलकाता/ चंडीगढ़/ चेन्नै/ गोरखपुर/ गुवाहाटी/ जम्मू एवं श्रीनगर/ मालदा/ मुंबई/ मुजफ्फरपुर/ पटना/ रांची/ सिकंदराबाद/ तिरुवनंतपुरम।
27. मुख्य परियोजना प्रशासक (टेलीकॉम), इरकॉट कंसल्टैंसी, शिवाजी ब्रिज, नई दिल्ली।
28. निदेशक (संचलन) रेलें, कोलकाता।
29. महासचिव, आईआरसीए, डीआरएम ऑफिस काम्पलैक्स, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
30. प्रबंध निदेशक, रेल सूचना प्रणाली केंद्र।
31. उपाध्यक्ष रेल भूमि विकास प्राधिकरण।
32. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय रेल वैकल्पिक ईंधन संगठन, 12वीं मंजिल, कोर-1, स्कोप मीनार, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-92.
33. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय, भारतीय रेल (वर्कशॉप परियोजना), चैम्बर भवन, जज कोर्ट रोड, अंटा घाट, पटना - 800001, बिहार।
34. संयुक्त निदेशक (लौह एवं इस्पात), 3 कोयलाघाट स्ट्रीट, कोलकाता
35. सचिव, रेल दावा अधिकरण, चेन्नै।
36. रेल संपर्क अधिकारी, डीजीएस एंड डी, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली।

(यू. एन. मेहता)
संयुक्त निदेशक, स्थापना (आरक्षण)
रेलवे बोर्ड

अनुबंध-I

निम्नलिखित उदाहरणों से नए पद आधारित आरक्षण रोस्टर का परिचालन स्पष्ट हो जाएगा:

(i) मान लीजिए 1000 पदों का एक संवर्ग है जिसे खुली प्रतियोगिता द्वारा अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती के जरिए भरा गया था। इस संवर्ग में सभी पदों के भरे जाने के बाद आरक्षण के तहत नियुक्ति के लिए अ.जा., अ.ज.जा. एवं अ.पि.व. कर्मचारियों की संख्या आदर्श रूप से क्रमश: 150, 75 एवं 270 होगी। (इस मामले में अ.जा., अ.ज.जा. एवं अ.पि.व. में आरक्षण क्रमश: 15%, 7.5% एवं 27% है।) साथ ही आरक्षण के तहत नियुक्त अ.जा., अ.ज.जा. एवं अ.पि.व. कर्मचारियों की संख्या क्रमश: 150, 75 एवं 270 है।

(ii) (क) मान लीजिए भर्ती वर्ष 2018 में संवर्ग में 200 पद रिक्त हो जाते हैं, जिनमें से अ.जा. के 38 पद, अ.ज.जा. के 10 पद और अ.पि.व. के 72 पद रिक्त हुए हैं। इस प्रकार वर्ष में इस संवर्ग में 38 अ.जा., 10 अ.ज.जा. और 72 अ.पि.व. के पदों की कमी है। हालांकि संवर्ग में अ.जा., अ.ज.जा. एवं अ.पि.व. की कमी की संख्या अधिक है फिर भी इनमें से केवल 100 पद ही आरक्षित निर्धारित किए जा सकते हैं क्योंकि सभी 200 रिक्तियां मौजूदा रिक्तियां हैं और इन रिक्तियों में एक वर्ष में आरक्षण पर 50% की अधिकतम सीमा लागू होगी।

(ख) अ.ज.जा. में 10 पद की कमी है अर्थात कुल रिक्तियों के 7.5% से कम है। इसलिए, अ.ज.जा. हेतु आरक्षण के लिए केवल 10 रिक्तियां ही निर्धारित की जा सकती हैं। अ.जा. और अ.पि.व. की कमी मौजूदा रिक्तियों के क्रमश: 15% और 27% से अधिक है। इसलिए मौजूदा रिक्तियों का 15% अ.जा. के लिए और 27% अ.पि.व. के लिए निर्धारित किया गया है अर्थात अ.जा. के लिए 30 रिक्तियां और अ.पि.व. के लिए 54 रिक्तियां निर्धारित की गई हैं। उक्त सिद्धांत को लागू करने से 94 रिक्तियां आरक्षित निर्धारित की गई हैं। इस प्रकार कमी को पूरा करने के लिए 6 अन्य रिक्तियां (100-(10+30+54)) आरक्षित निर्धारित की जाएंगी। इन 6 रिक्तियों को इन कोटियों के लिए निर्धारित आरक्षण के प्रतिशत के अनुपात यथा 15:27 में अ.जा. और अ.पि.व. के बीच विभाजित किया जाना है जो इस शर्त के अध्यधीन है कि किसी भी कोटि के लिए निर्धारित आरक्षित रिक्तियों की संख्या उस कोटि में रिक्तियों की कमी से अधिक न हो। इस प्रकार, वर्ष 2018 की रिक्तियों के संबंध में आरक्षण के निर्धारण के तहत 32 अ.जा., 10 अ.ज.जा. और 58 अ.पि.व. रिक्तियां आरक्षित होंगी।

(ग) मान लीजिए भर्ती वर्ष 2018 में आरक्षित रिक्तियों के तहत केवल 20 अ.जा., 5 अ.ज.जा. और 50 अ.पि.व. उम्मीदवार ही भर्ती किए गए। इस प्रकार 12 अ.जा., 5 अ.ज.जा. और 8 अ.पि.व. रिक्तियां, जो आरक्षित निर्धारित की गई थीं, को भरा नहीं जा सका और ये पद रिक्त ही रहेंगे। इन 12 अ.जा., 5 अ.ज.जा. और 8 अ.पि.व. रिक्तियों, जो आरक्षित निर्धारित की गई थी, परंतु भर्ती के दौरान खाली ही रह गईं थी, को आगामी भर्ती वर्ष में बैकलॉग आरक्षित रिक्तियां माना जाएगा। वर्ष 2018 की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद पदों की कुल संख्या 975 होगी, जिसमें से अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. की संख्या क्रमश: 132, 70 और 248 होगी। यह नोट किया जाए कि इस स्तर पर अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. में आरक्षण की कमी क्रमश: 18, 5 और 22 होगी परन्तु अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. के लिए बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों की संख्या क्रमश: 12, 5 और 8 होगी।

(iii) (क) मान लीजिए भर्ती वर्ष 2019 में 200 पद रिक्त हो जाते हैं, जिनमें से अ.जा. के 30 पद, अ.ज.जा. के 10 पद और अ.पि.व. के 50 पद रिक्त हुए हैं। इस स्तर पर अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. में कमी की संख्या क्रमश: 48, 15 और 72 होगी। वर्ष में रिक्तियों की कुल संख्या 200+12+5+8=225 होगी, जिनमें से 200 मौजूदा रिक्तियां हैं और 25 बैकलॉग रिक्तियां हैं। अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. की 25 बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों को एक अलग और विशिष्ट समूह माना जाएगा और इसमें अ.जा. के 12, अ.ज.जा. के 5 और अ.पि.व. के 8 पद आरक्षित रखे जाएंगे। इन 200 मौजूदा रिक्तियों में से, अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. के लिए निर्धारित आरक्षित संख्या 100 से अधिक नहीं हो सकती है। वर्ष 2018 में लागू किए गए सिद्धांत को लागू करने पर, 200 मौजूदा रिक्तियों में से, अ.जा. के लिए 32, अ.ज.जा. के लिए 10 और अ.पि.व. के लिए 58 रिक्तियां आरक्षित निर्धारित की गई हैं। इस प्रकार भर्ती वर्ष 2019 में बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों सहित अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या क्रमश: 44, 15 और 66 होगी। मान लीजिए इन रिक्तियों को 01.02.2019 को या उसके बाद अधिसूचित किया जाता है, इसलिए इन रिक्तियों को 01.02.2019 को या उसके बाद अधिसूचित करने पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के लिए 10% रिक्तियां आरक्षित रखनी होंगी। इसलिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए मौजूदा वर्ष की रिक्तियों (200) का 10% अर्थात 20 रिक्तियां निर्धारित की गई हैं। चूंकि संवर्ग संख्या 1000 पदों की है इसलिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 100 रोस्टर पाइंट होंगे। बहरहाल, 01.02.2019 को या उसके बाद अधिसूचित केवल 10% रिक्तियां ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आबंटित की जा सकती हैं अर्थात भर्ती वर्ष 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 20 रिक्तियां आरक्षित रखी जा सकती हैं और बाकी बचे हुए प्वाइंटों को अनारक्षित रिक्तियों के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार भर्ती वर्ष 2019 (01.02.2019 को या उसके बाद अधिसूचित) में अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व. और ई.डब्ल्यू.एस. के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या क्रमश: 44, 15, 66 और 20 होगी और शेष रिक्तियों (80) को अनारक्षित रिक्तियां माना जाएगा।

(ख) मान लीजिए भर्ती वर्ष 2019 में अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व. और ई.डब्ल्यू.एस. के लिए आरक्षित रिक्तियों के तहत केवल 34 अ.जा., 5 अ.ज.जा., 56 अ.पि.व. और 15 ई.डब्ल्यू.एस. उम्मीदवार ही भर्ती किए जा सके। इस प्रकार, 10 अ.जा., 10 अ.ज.जा., 10 अ.पि.व. और 5 ई.डब्ल्यू.एस., जो आरक्षित निर्धारित की गई हैं, रिक्तियों को भरा नहीं जा सका और ये रिक्तियां खाली ही रहीं। 10 अ.जा., 10 अ.ज.जा. और 10 अ.पि.व. की इन रिक्तियों, जो आरक्षित निर्धारित की गई थी, परंतु भर्ती के दौरान खाली ही रह गईं थी, को आगामी भर्ती वर्ष में बैकलॉग आरक्षित रिक्तियां माना जाएगा (उन ई.डब्ल्यू.एस. से संबंधित रिक्तियों को जिन्हें ई.डब्ल्यू.एस. से संबंधित योग्य उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के कारण भरा नहीं जा सका, अगले भर्ती वर्ष में बैकलॉग के रूप में अग्रेषित नहीं किया जाएगा)। वर्ष 2019 की भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने के बाद पदों की कुल संख्या 955 होगी, जिसमें से अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व. और ई.डब्ल्यू.एस. की संख्या क्रमश: 136, 65, 254 और 15 होगी। यह नोट किया जाए कि इस स्तर पर अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. में आरक्षण की कमी क्रमश: 14, 10 और 16 होगी परन्तु अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. के लिए बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों की संख्या क्रमश: 10, 10 और 10 होगी।

(iv) मान लीजिए भर्ती वर्ष 2020 में संवर्ग में 200 पद रिक्त हो जाते हैं, जिनमें से अ.जा. के 35 पद, अ.ज.जा. के 10 पद, अ.पि.व. के 50 पद और ई.डब्ल्यू.एस. के 5 पद रिक्त हुए हैं। इस स्तर पर अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. में कमी की संख्या क्रमश: 49, 20 और 66 होगी। वर्ष में रिक्तियों की कुल संख्या 200+10+10+10=230 होगी, जिसमें से 200 मौजूदा रिक्तियां हैं और 30 बैकलॉग रिक्तियां हैं। अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. की 30 बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों को एक अलग और विशिष्ट समूह माना जाएगा और इसमें अ.जा. के 10, अ.ज.जा. के 10 और अ.पि.व. के 10 पद आरक्षित रखे जाएंगे। इन 200 मौजूदा रिक्तियों में से, अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. के लिए निर्धारित आरक्षित संख्या 100 से अधिक नहीं हो सकती है। वर्ष 2018 एवं 2019 में लागू किए गए सिद्धांत के आधार पर 200 मौजूदा रिक्तियों में से अ.जा. के लिए 34, अ.ज.जा. के लिए 10 और अ.पि.व. के लिए 56 रिक्तियां आरक्षित निर्धारित की गई हैं। इस प्रकार भर्ती वर्ष 2019 में बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों सहित अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या क्रमश: 44, 20 और 66 होगी। चूंकि इन रिक्तियों को 01.02.2019 को या उसके बाद अधिसूचित किया जाएगा, इसलिए इन रिक्तियों को 01.02.2019 को या उसके बाद अधिसूचित करने पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के लिए 10% रिक्तियां आरक्षित रखनी होंगी। इसलिए 01.02.2019 को या उसके बाद अधिसूचित रिक्तियों का 10% ई.डब्ल्यू.एस. के लिए आरक्षित होंगी, जिसका अर्थ है कि वर्ष 2019 एवं 2020 में अधिसूचित रिक्तियों का 10% (200+200=400) जो संवर्ग की कुल संख्या के 10% के अध्यधीन होगी। इस प्रकार भर्ती वर्ष 2020 तक ई.डब्ल्यू.एस. के लिए 400 का 10% अर्थात 40 रोस्टर प्वाइंट आरक्षित किए जा सकते हैं, जिसमें से ई.डब्ल्यू.एस. द्वारा 10 रिक्तियां पहले ही भरी जा चुकी हैं (ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षण के तहत भर्ती वर्ष 2019 में 15 रिक्तियां भरी जा सकीं, जिनमें से 5 रिक्त हो गईं)। चूंकि संवर्ग संख्या 1000 पदों की है, इसलिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए के लिए 100 रोस्टर पाइंट होंगे। बहरहाल, 01.02.2019 को या उसके बाद अधिसूचित केवल 10% रिक्तियां ही ई.डब्ल्यू.एस.के लिए आबंटित की जा सकती हैं अर्थात भर्ती वर्ष 2020 में 30 (40-10) रिक्तियां आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित रखी जा सकती हैं (ई.डब्ल्यू.एस. की 10 भरी हुई हैं, चूंकि ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षण के तहत भर्ती वर्ष 2019 में की गईं 15 नियुक्तियों में से 5 रिक्त हो गईं) परिणामस्वरूप कुल मिलाकर 40 हो गई अर्थात 01.02.2019 को या उसके बाद अधिसूचित 10% रिक्तियां (400) और बाकी बचे हुए प्वाइंट को अनारक्षित रिक्तियों के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार भर्ती वर्ष 2020 में अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व. और ई.डब्ल्यू.एस. के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या क्रमश: 44, 20, 66 और 30 होगी और शेष रिक्तियों (70) को अनारक्षित रिक्तियां माना जाएगा।